महत्वपूर्ण

संख्या-13/2017/441/55-पर्या-2-2017/45(रिट)/2016

प्रेषक,

श्री राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उ0प्र0।

4- निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0
लखनऊ।

5- सदस्य सचिव,
उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2017

विषय-प्रदेश में कोयला अथवा लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कोयला अथवा लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में ओ0ए0 सं0-102/2014 सैण्ड प्लास्ट बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य सम्बद्ध वादों में समय-समय पर पारित आदेशों के अनुक्रम में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश अपनी अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2016 द्वारा जारी किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

1. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अन्तर्गत कैपटिव और/या सह उत्पादन केन्द्र भी है) अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर उनके पास उपलब्ध प्रत्येक किस्म की ऐश के स्टाक के ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके पश्चात मास में कम से कम एक बार स्टाक की स्थिति को अद्यतन करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र समर्पित शुष्क ऐश साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि फ्लाई ऐश के परिदान को सुगम बनाया जा सके।

3. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 किलोमीटर की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिये या कृषि सम्बन्धित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिये ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जायेगी और 100 किलोमीटर की परिधि से परे और 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच समान रूप से अंश भाजित की जाएगी।

4. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र अपने परिसरों के भीतर या अपने परिसरों के आस-पास ऐश आधारित उत्पाद संनिर्माण सुविधाओं का संवर्धन करेंगे, उन्हे अपनाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे।(वित्तीय और अन्य सहबद्ध अवसंरचना)

5. नगरों के आस-पास बने कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ऐश आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों का संवर्धन करेंगे और उनकी सहायता करेंगे ताकि ईंटो और अन्य भवन संनिर्माण सामग्रियों की अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही परिवहन में कमी की जा सकें।

6. यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी सड़क संनिर्माण का संविदाकार सड़क निर्माण में ऐश का उपयोग करता है, सड़क संनिर्माण के लिये संबद्ध प्राधिकारी संविदाकर को किए जाने वाले सदस्य को तापीय विद्युत संयंत्र से ऐश के प्रदाय के प्रमाणीकरण के साथ जोडेग़ा।

7. कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों सड़कों, बांधों और तटबन्धों के संनिर्माण को अंतर्वलित करने वाले सरकार के आस्ति सृजन कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत का वहन करेगा।

8. विभिन्न संनिर्माण परियोजनाओं का अनुमोदन करने वाले सभी राज्य प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि फ्लाई ऐश का उपयोग करने या फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के लिये तापीय विद्युत संयंत्रों और संनिर्माण अभिकरण या संविदाकारों के बीच परस्पर समझ ज्ञापन या कोई अन्य ठहराव किया जाता है।

9. राज्य प्राधिकारी, दस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की भवन निर्माण सम्बन्धी उप विधियों का संशोधन करेंगे ताकि भार वहन करने वाली संरचनाओं हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुये ऐश आधारित ईटों के अज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

10. सम्बद्ध प्राधिकारी सभी सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों में, उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (मनरेगा), स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और ग्रामीण आवासन स्कीम, जहां संनिर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट से अधिक है और अवसरंचना सम्बन्धी संनिर्माण में, जिसके अन्तर्गत अभिहित औद्योगिक संपदाओं या पार्को या विशेष आर्थिक जोनों में भवन निर्माण भी है, ऐश आधारित ईंटो या उत्पादों के आज्ञापक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।

11. कृषि मंत्रालय कृषि क्रियाकलापों में ऐश के मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग का संवर्धन करने पर विचार कर सकेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें तथा फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग एसोसियेशन द्वारा राज्य में स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की सूची लोक निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाये तथा इन विभागों द्वारा इकाइयों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-13/2017/441(1)/55-पर्या-2-2017/45(रिट)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, एन0टी0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 भवन, स्कोप काम्पलेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003
4. अध्यक्ष, फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड प्रोमोटर्स एसोसियेशन, 5, स्वप्न लोक अपार्टमेंट, आई.वी.आर.आई. रोड, बरेली।
5. फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन दिल्ली, एन0सी0आर0 रीजन, 178, ब्लाक-III, गंगा शापिंग काम्प्लेक्स, सेक्टर-2, नोयडा-201301, उ0प्र0।
6. मैसर्स हिन्डालको इण्ड0 लि0, (पावर डिवीजन) रेनूकूट, सोनभद्र।
7. मैसर्स लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा, सोनभद्र।
8. मैसर्स बजाज इनर्जी प्रा0 लि0, कुन्दरकी गोंडा/ईटइमैदा, उतरौला, बलरामपुर/ ग्राम व पोस्ट मकसूदपुर, शाहजहॉपुर/ग्राम-बरखेड़ा, बीसलपुर, पीलीभीत।
9. मैसर्स रोजा पावर सप्लाई कं0 लि0, हरदोई रोड, शाहजहॉपुर।
10. मैसर्स ललितपुर पावर जनरेशन, जनपद-ललितपुर।
11. मैसर्स प्रयागराज पावर, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।